न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह

बइजलास श्री शिवराज मीणा आर0 ए0 एस0 उपखण्ड अधिकारी

मि0 नं0 141/2023 ता0 रजू 14.08.2023

उनवान

1. रामबाबू पुत्र कृष्ण अवतार जाति महाजन निवासी टोड़ारायसिंह हाल निवासी ए–38 सुभाष नगर, टीबी हॉस्पिटल के सामने शास्त्री नगर, जयपुर।
2. नितिन पुत्र भगवानदास जाति महाजन निवासी टोड़ारायसिंह हाल निवासी 8/106 पापड़ वाले बालाजी के पास, विद्याधर नगर जयपुर।
3. श्यामसुन्दर पुत्र कृष्ण अवतार जाति महाजन निवासी टोड़ारायसिंह हाल निवासी ए–38 सुभाष नगर, टीबी हॉस्पिटल के सामने शास्त्री नगर, जयपुर।
4. शिवकुमार पुत्र कृष्णअवतार जाति महाजन निवासी टोड़ारायसिंह हाल निवासी ए–38 सुभाष नगर, टीबी हॉस्पिटल के सामने शास्त्री नगर, जयपुर।
5. संतोष पत्नी कृष्णअवतार जाति महाजन निवासी टोडारायसिंह हाल निवासी ए–38 सुभाष नगर, टीबी हॉस्पिटल के सामने शास्त्री नगर, जयपुर।
6. प्रिति पत्नी ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी टोड़ारायसिंह हाल निवासी ए–38 सुभाष नगर, टीबी हॉस्पिटल के सामने शास्त्री नगर, जयपुर।
7. मानवी पुत्री ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी टोड़ारायसिंह हाल निवासी ए–38 सुभाष नगर, टीबी हॉस्पिटल के सामने शास्त्री नगर, जयपुर।
8. अल्का पुत्री भगवानदास जाति महाजन निवासी टोड़ारायसिंह हाल निवासी 8/106 पापड़ वाले बालाजी के पास, विद्याधर नगर जयपुर।
9. कुसुम पत्नी भगवानदास जाति महाजन निवासी टोड़ारायसिंह हाल निवासी 8/106 पापड़ वाले बालाजी के पास, विद्याधर नगर जयपुर।
10. रमेशचन्द पुत्र नारायण लाल जाति महाजन निवासी टोड़ारायसिंह हाल निवासी 67 ए, पाकेट फर्स्ट प्लोर आउटर रिंग रोड, विकासपुरी एग्स तिलकनगर, वेस्ट दिल्ली।
11. सुमन पत्नी सुरेशचन्द जाति महाजन निवासी टोड़ारायसिंह हाल निवास ए–284, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद नगर, गोपालपुरा बाईपास 200 फीट बाईपास जयपुर।
12. सिद्धार्थ पुत्र सुरेशचन्द जाति महाजन निवासी टोड़ारायसिंह हाल निवास ए–284, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद नगर, गोपालपुरा बाईपास 200 फीट बाईपास जयपुर।
13. सिल्का पुत्री सुरेशचन्द जाति महाजन निवासी टोड़ारायसिंह हाल निवास ए–284, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद नगर, गोपालपुरा बाईपास 200 फीट बाईपास जयपुर।
14. चन्द्रकान्ता पुत्री नारायणलाल पत्नी कैलाशचन्द जाति महाजन निवासी टोड़ारायसिंह हाल निवासी 628, पंचशील ए ब्लॉक, भगवान महावीर स्कूल के सामने, पंचशील नगर अजमेर।
15. शिल्पी पुत्री नारायणलाल पत्नी राजेश गुप्ता जाति महाजन निवासी टोड़ारायसिंह हाल निवासी प्लेट नं0 1704, टॉवर स्लाकस परिमति गार्डन एस्टेट, गुरूग्राम विभाग 72, बादशाहपुर गुड़गांव हरियाणा।

वादी

बनाम

1. दिनेश कुमार अग्रवाल पुत्र रामस्वरूप कौम महाजन निवासी कटला बाजार टोड़ारायसिंह।
2. सुरेश कुमार अग्रवाल पुत्र रामस्वरूप कौम महाजन निवासी टोड़ारायसिंह हाल निवासी 8 प्रहलाद कॉलोनी खण्डेलवाल ढाबे के पीछे एयरपोर्ट चौराहा, सांगानेर रोड जयपुर।
3. ममता अग्रवाल पत्नी विनोद गुप्ता पुत्री स्व0 रमेश कौम महाजन निवासी टोड़ारायसिंह जिला टोंक हाल निवासी टी 2/36 अणुदीप कोलोनी रावतभाटा वाया कोटा।
4. मंजू देवी पत्नी स्व0 रमेश कुमार अग्रवाल जाति महाजन निवासी टोड़ारायसिंह।
5. तहसीलदार /लैण्ड होल्ड़र तहसील टोड़ारायसिंह।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.05.29 15:54:57 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण–

दावा इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा

आदेश

दिनांक:–09.08.2023

वाद वादीगण का मुख्य रूप से कथन हैं कि वादीगण पिता व दादा व ससुर के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात साबिक खसरा नं0 1141/2 रकबा 1:14 बीघा वाके ग्राम

Scanned with OKEN Scanner

टोड़ारायसिंह में स्थित हैं। जो बाद सेटलमेंट हाल खसरा नं0 4494 रकबा 0.41 है0 बनाया है। वादीगण के पिता व दादा व ससुर की मृत्यु हो चुकी है। नारायणलाल के वारिसान में रूकमणी देवी पत्नी, कृष्णअवतार पुत्र, भगवानदास पुत्र, रमेशचन्द पुत्र, सुरेशचन्द पुत्र, चन्द्रकान्ता पुत्री, शिल्पी पुत्री, हुए। जिनमें से पत्नी रूकमणी देवी, पुत्र कृष्णअवतार पुत्र भगवानदास व पुत्र सुरेशचन्द फौत हो चुके हैं। कृष्णाअवतार के वारिसान संतोष रानी पत्नी, श्यामसुन्दर पुत्र, रामबाबू पुत्र, ओमप्रकाश पुत्र, शिवकुमार पुत्र हुयें। जिनमें से ओमप्रकाश भी फौत हो चुका हैं। उसके वारिसान प्रीति पत्नी व मानवी पुत्री हैं। भगवान दास के वारिसान कुसुम, नितिन, अल्का हैं। सुरेशचन्द के वारिसान सुमन, सिद्धार्थ, सिल्का हैं।

साबिक खतौनी संख्या 520 सम्वत् 2036 से 2039 वाके कस्बा टोड़ारायसिंह में वादीगण के पिता व दादा व ससुर नारायणलाल थे। नारायणलाल व चौथमल पुत्र रामकरण कौम महाजन की खातेदारी उक्त आराजी दर्ज थी। उसके नीचे खतौनी संख्या 521 में दर्ज खातेदारी नारायणलाल पुत्र किशनलाल कौम महाजन खातेदार काश्तकार थे उनकी विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2464 दिनांक 15.09.1980 खातेदार नारायण लाल पुत्र किशनलाल का विरासत नामान्तरकरण के पिता व ससुर रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल कौम के हक में स्वीकृत किया गया उसके वाद तहसील टोड़ारायसिंह में सेटलमेंट का कार्य चालू हो गया। सेटलमेंट अधिकारियों ने सहवन से खसरा पत्रक में साबिक खसरा नं0 1141/2 रकबा 1:14 बीघा के सेटलमेन्ट में नया नंबर 4494 रकबा 0.41 है0 अंकित कर खतौनी संख्या 520 वादीगण के पिता व दादा व ससुर नारायण लाल, चौथमल पुत्र रामकरण का नाम दर्ज कर वर्तमान कृषक में रामस्वरूप पुत्र नारायण लाल हिस्सा 1/2 चौथमल पुत्र रामकरण हिस्सा 1/2 अंकित कर विशेष विवरण में नामान्तरकरण संख्या 2464 दिनांक 15.09.1980 दर्ज कर हाल सेटलमेंट आधार वर्ष जमाबंदी खाता संख्या 531 में सम्वत् 2050 से 2069 में गलत रूप से रामस्वरूप पुत्र नारायण लाल हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया। जबकि साबिक खतौनी संख्या 521 का विरासत नामान्तरकरण था जिस दिन वादीगण के पिता व दादा व ससुर नारायणलाल जीवित थे। वादीगण के पिता–दादा–ससुर नारायणलाल की मृत्यु दिनांक 29.09.1998 को कस्बा टोड़ारायसिंह में हुई है। उसके बाद पश्चात्वर्ती जमाबंदियों में भी रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल हिस्सा 1/2 गलत रूप से दर्ज है। उक्त गलती सहवन से राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा की गई है। हाल आराजी खसरा नं0 4494 रकबा 0.41 है0 बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में वादीगण ही मौके पर काबिज हैं। वादीगण के पिता–दादा–ससुर नारायणलाल व चौथमल की मृत्यु हो चुकी हैं। जिनकी विरासत खातेदारी भी अन्य आराजियात में व उक्त आराजियात का आधा हिस्सा मृतक चौथमल का भी जरियें डिक्री उनवानी प्रकरण रामबाबू बनाम श्यासुन्दर दावा घोषणा खातेदारी स्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 218/2021 दिनांक 16.12.2021 को वादी के हक में घोषित हो चुकी है। लेकिन वादीगण के पिता पिता–दादा–ससुर नारायणलाल पुत्र रामकरण हिस्सा 1/2 के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल गलत दर्ज हो रखा हैं व साबिक खतौनी संख्या 521 सम्वत् 2036–2039 में दर्ज खातेदार नारायणलाल पुत्र किशनलाल किता 6 रकबा 11:17 बीघा का विरासत नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 22.06.1990 एएसओ से प्रतिवादी के नाम दर्ज हो चुकी है। सेटलमेंट के दौरान उक्त विरासत नामान्तरकरण का अमल खसरा पत्रक में वादीगण के पिता–दादा–ससुर नारायणलाल चौथमल पुत्र रामकरण के खाते में सहवन से दर्ज किये जाने के कारण नारायणलाल के स्थान पर रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल तकनीकी रूप से दर्ज हुआ है। जिस पर कभी भी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त न होकर वादीगण का ही आज तक कब्जा काश्त है। वादीगण के पिता व दादा व ससुर की मृत्यु होने व उनका विरासत हक वादीगण में निहित होने व मृतक चौथमल का हिस्सा पूर्व में ही वादीगण द्वारा प्राप्त कियें जाने के कारण वादीगण रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल के स्थान पर नारायणलाल पुत्र रामकरण इन्द्राज दुरूस्ती करवाकर खातेदार काश्तकार घोषित होनें के वादीगण अधिकारी हैं। रामस्वरूप पुत्र नारायण लाल की मृत्यु हो चुकी हैं। जिनका विरासत नामान्तरकरण प्रतिवादीगण ने हक में नामान्तरकरण संख्या 35 द्वारा पूर्व में दर्ज हो रखा हैं। खसरा नम्बर 4494 रकबा 0.41 है0 से प्रतिवादीगण का तनिक भी संबंध सरोकार नहीं हैं।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री फरमाया जाकर खतौनी संख्या 1361 सम्वत् 2073–2076 वाके कस्बा टोड़ारायसिंह में रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल हिस्सा 1/2 के स्थान पर नारायणलाल पुत्र रामकरण हिस्सा 1/2 महाजन दुरूस्त किया जाकर मृतक खातेदार के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वाद वादीगण पेश होने पर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी नं0 1 ल0 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आयें इसलिए कार्यवाही [illegible] अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं0 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि साबिक खसरा नं0 1141/2 रकबा 1:[illegible] मुताबिक मिलान क्षेत्रफल नकल हाल खसरा नं0 4494 रकबा 0.41 है0 चौथमल पुत्र रामक[illegible] हिस्सा 1/2 रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल हिस्सा 1/2 जाति महाजन सा0 देह [illegible] के नाम दर्ज [illegible] न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक व वरिष्ठ सिविल न्याय[illegible] टोड़ारायसिंह [illegible] के स्थगन नोट अंकित है। साबिक जमाबंदी सम्वत् 2036 से 2039 की फॉटो प्रति में साबिक खसरा नं0 1141/2 रकबा 1:14 बीघा नारायणलाल चौथमल पिता रामकरण जाति महाजन सा0 देह [illegible] बराबर खातेदार के नाम दर्ज था। साबिक नामान्तरकरण संख्या 2464 दिनांक 15.09.1980 साबिक खसरा नं0 2617, 2625, 2626, 2627, 2628, 2633 कुल किता–6 रकबा 11:17 बीघा में नारायणलाल पुत्र किशनलाल कौम महाजन सा0 देह खातेदार की विरासत रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल कौम महाजन के नाम स्वीकार हुई जिसका नोट सेटलमेन्ट विभाग की जमाबंदी में साबिक खसरा नं0 1141/2 रकबा 1:14 बीघा के बनें हाल खसरा नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.05.29 15:54:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

4494 रकबा 0.41 है0 में लगा दिया गया था। अर्थात साबिक खसरा नं0 1141/2 रकबा 1:14 बीघा में किसी भी प्रकार का नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ था। क्योंकि खातेदार नारायणलाल पुत्र रामकरण महाजन की मृत्यु दिनांक मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र के 29.09.1998 है। रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल के साबिक जमाबंदी खसरा नं0 2617, 2625, 2626, 2627, 2628, 2633 कुल किता–6 रकबा 11:17 बीघा में नारायणलाल पुत्र किशनलाल की विरासत से दर्ज हुआ हैं। जिसका सहवन से साबिक खसरा नं0 1141/2 रकबा 1:14 बीघा में नोट दर्ज होने से अंकित हुआ हैं।

वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2036 से 2039 खाता संख्या 520, 521 प्रदर्श 1, जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 1361 प्रदर्श 2, नामान्तरकरण संख्या 2464 दिनांक 15.09.1980 प्रदर्श 3, खसरा पत्रक सम्वत् 2044, जमाबंदी आधार वर्ष सम्वत् 2050–2069 प्रदर्श 4, प्रदर्श 5, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6, फोटो प्रतियां प्रकरण संख्या 218/2021 रामबाबू बनाम श्यामसुन्दर की डिक्री व निर्णय दिनांक 16.12.2021, आदेशिका दिनांक 01.11.2021 से दिनांक 16.12.2021, वाद पत्र जवाब दावा, राजीनामा तथा मृत्यु प्रमाण पत्र तथा आदेश राजस्व अपील अधिकारी टोंक दिनांक 24.08.2023 आदेश वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश टोड़ारायसिंह दिनांक 14.08.2023 पेश किये तथा बयानात् वादीगण सुमन पत्नी सुरेशचन्द, गवाह हनुमान माली, गवाह नरेन्द्र कुमार महाजन के करवायें गये।

बहस अभि0 वादीगण व पेरोकार सरकार की सुनी गई। जो मुख्य रूप से वाद पत्र एवं जवाब के अनुसार रहीं।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी हाल जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 1361 के अनुसार वादीगण के नाम हिस्सा 1/2 तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के पिता रामस्वरूप पुत्र नारायण लाल के नाम दर्ज हैं। उपलब्ध दस्तावेजात में साबिक जमाबंदी में सम्वत् 2036–2039 खतौनी संख्या 520, प्रदर्श 1 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नं0 1141/2 रकबा 1:14 बीघा नारायणलाल, चौथमल पि0 रामकरण अकवान महाजन सा0 देह हिस्सा बराबर खातेदार क नाम दर्ज रिकार्ड हैं। इससे स्पष्ट जाहिर हैं कि उक्त आराजी रामकरण के वारिस नारायणलाल, चौथमल की थी एक अन्य नारायणलाल पुत्र किशनलाल कौम महाजन सा0 देह खातेदार की आराजियात खतौनी संख्या 521 सम्वत् 2036–2039 किता 6 रकबा 11:17 बीघा प्रदर्श 1 के अनुसार हैं। अर्थात खाता सख्या 520 व 521 उपर नीचे प्रदर्श 1 के अनुसार दर्ज हैं। वादग्रस्त आराजी का खाता 520 है जिसका खातेदार नारायण लाल पुत्र रामकरण हैं। तथा खाता संख्या 521 की आराजी का खातेदार नारायणलाल पुत्र किशनलाल हैं। अर्थात दोनों नारायणलाल अलग–अलग व्यक्ति हैं। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 2464 दिनांक 15.09.1980 प्रदर्श 3 खातेदार नारायणलाल पुत्र किशनलाल महाजन जोकि प्रदर्श 1 के खाता संख्या 521 कुल किता 6 रकबा 11:17 बीघा का था उसके सम्बन्ध में दर्ज किया गया था उक्त नामान्तरकरण जिसका नोट प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत् 2036 से 2039 की खतौनी संख्या 521 पर हीं डाला गया था। खतौनी संख्या 520 के खातेदार नारायणलाल पुत्र रामकरण की मृत्यु तो मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 29.09.1998 को हुई हैं। अर्थात खतौनी संख्या 521 के खातेदार नारायणलाल पुत्र किशनलाल कि विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2464 दिनांक 15.09.1980 को ही हो गया था उसके लगभग 18 वर्ष बाद खतौनी संख्या 520 के खातेदार नारायणलाल पुत्र रामकरण की मृत्यु हुयी हैं। इसीसे स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण या उनके पिता रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल का कोई सम्बन्ध, सरोकार या लेना देना किसी भी किस्म का नहीं हैं। भू–प्रबन्ध कार्यवाही होने पर आधार वर्ष की जो जमाबंदी सम्वत् 2050–2069 खतौनी संख्या 531 प्रदर्श 4 में रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल हिस्सा 1/2 तथा चौथमल पुत्र रामकरण हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया जो बिल्कुल गलत हैं। क्यूकि रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल का तो उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध ही नहीं हैं। स्वयं प्रतिवादी नं0 5 तहसीलदार द्वारा भी अपने जवाब में स्पष्ट अंकित किया हैं कि रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल के नाम साबिक खसरा नं0 2617, 2625, 2626, 2627, 2628, 2633 किता 6 रकबा 11:17 बीघा में नारायणलाल पुत्र किशनलाल की विरासत से दर्ज हुआ हैं। जिसका सहवन से साबिक खसरा नं0 1141/2 रकबा 1:14 बीघा में नोट दर्ज होने से अंकित हुआ हैं। अर्थात तहसीलदार द्वारा भी वाद पत्र की पूर्ण ताहिद की गयी हैं। इस प्रकार प्रकरण में वादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 1361 सम्वत् 2073–2076 वाके कस्बा टोड़ारायसिंह में रामस्वरूप पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 के स्थान पर नारायणलाल पुत्र रामकरण हिस्सा 1/2 दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत हैं। चुकि वादीगण हीं मृतक नारायणलाल पुत्र रामकरण के विधिक वारिसान हैं। इसलिए वादग्रस्त आराजी की घोषणा खातेदारी अपने नाम करवाये जाने के कानूनी रूप से अधिकारी हैं। जहां तक साबिक खसरा नं0 1141 रकबा 1:14 बीघा के हाल खसरा नं0 4494 रकबा 0.41 है0 बनने का प्रश्न है। यह मि[illegible] प्रदर्श 6 से बखूबी साबित हैं। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब में न्यायालय राजस्व अ[illegible] अ[illegible] टोंक व न्यायालय सिविल न्यायाधीश टोड़ारायसिंह के स्थगन होने [illegible] दस्तावेजात आदेश न्यायालय अपील अधिकारी राजस्व दिनांक 24.08.2023 [illegible] न्यायालय सिविल न्यायाधीश टोड़ारायसिंह के आदेश दिनांक 24.08.2023 के अनुसार स्थगन [illegible] हो चुके हैं। स्थगन हटने के बाद तो वादग्रस्त आराजी के शेष 1/2 हिस्से जो कि चौथमल पुत्र [illegible]करण के हिस्से की डिक्री न्यायालय हाजा द्वारा जारी की गयी थी उसका भी नामान्तरकरण संख्या 5075 दिनांक 02.01.2024 से स्वीकार होकर आराजी वादीगण के नाम दर्ज हो चुकी हैं। प्रतिवादीगण नं0 1 ल0 4 के विरूद्ध कार्यवाही भी एकपक्षीय हो चुकी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.05.29 15:54:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अतः वाद वादीगण मुताबिक जवाब तहसीलदार डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नं0 4494 रकबा 0.41 है0 वाके कस्बा टोड़ारायसिंह में रामस्वरूप पुत्र नारायणलाल हिस्सा 1/2 के स्थान पर नारायणलाल पुत्र रामकरण हिस्सा 1/2 दुरूस्त किया जाकर मृतक खातेदार नारायणलाल पुत्र रामकरण के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तद्नुसार रिकार्ड राजस्व में अमल हेतु पर्चा ड़िक्री जारी हो।

आदेश आज दिनांक 09.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/04/2024

(शिवराज मीणा)
आर0 ए0 एस0
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shiv Raj Meena
Date: 2024.05.29 15:54:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner